<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 3/2019

महेन्द्र राजोरिया ग्राम आदर्श नगर वार्ड न0 12 बगड जिला झुंझुनूं
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू।
— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

<u>आदेश</u>

दिनांक 06.02.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक **15.01.2019** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 3/2019 पर दिनांक 16.01.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/70–71 दिनांक 17.01.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक 305 दिनांक 05.02.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक अभिलेखागार/2019/15 दिनांक 04.02.2019 द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवाते हुए अवगत करा दिया गया था कि सूचना न्यायालयों मे नकल प्राप्त करने से संबंधित होने के कारण संबंधित न्यायालयों मे नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक अभिलेखागार/2019/15 दिनांक 04.02.2019 द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवाते हुए अवगत करा दिया गया था कि सूचना न्यायालयों मे नकल प्राप्त करने से संबंधित होने के कारण संबंधित न्यायालयों मे नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुन
जिला कलेक्टर झुन्झुनू